न्यामूर्ति महिंदर सिंह सुल्लर के समक्ष

डॉ. ओंकार चंदर जे. जे. पी. एल. और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ और अन्य,-उत्तरदाता

सीआरएल **एम**. सं. **एम** 2006 का 54307

23 जनवरी, 2012

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 482-भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 3-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989-धारा 3-घर के स्वामित्व और पार्किंग के अधिकार के संबंध में पक्षों के बीच दीवानी और आपराधिक मुकदमे का इतिहास-शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पी एंड ए) अधिनियम, 1989 की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की-शिकायत को रद्द करने के लिए दायर याचिका-प्राथमिकी में भौतिक विवरणों की कमी का आरोप-शिकायतकर्ता को आरोप लगाना चाहिए था (i) आरोपी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं थे (ii) उन्हें पता था कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है (iii) अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्य के रूप में जानबूझकर उसका अपमान किया गया या उसे अपमानित करने के इरादे से सार्वजानिक स्थान पर डराया गया।

अभियुक्त की कार्रवाई को अधिनियम की आदेश 3 की शरारत के दायरे में लाने के लिए-चूंकि प्राथमिकी में विशिष्ट अभिवचन या आरोपों का अभाव था-प्राथमिकी बनाए रखने योग्य नहीं है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि इन प्रावधानों के एक संयुक्त और सार्थक अध्ययन से यह पता चलेगा कि अधिनियम की धारा 3 (x) के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, शिकायतकर्ता **को** अपनी शिकायत में विशेष रूप से उल्लेख करना अनिवार्य था और प्राथमिकी में यह खुलासा करना चाहिए कि (i) याचिकाकर्ता-आरोपी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं थे; (ii) वे जानते थे कि वह (शिकायतकर्ता) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सदस्य थी; (iii) उन्होंने जानबूझकर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में उसका अपमान करने के इरादे से उसका अपमान किया या डराया और (iv) सार्वजानिक स्थान पर सार्वजनिक दृष्टि **मे** उसका अपमान किया।"अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित किए गए" शब्दों का महत्वपूर्ण अर्थ है।सार्वजनिक रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को दिए गए शब्दों से अपमान का मतलब है कि कथित अपमान के समय अपमानित व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उपस्थित होना चाहिए।दूसरे शब्दों में, "सार्वजनिक दृष्टि के भीतर" शब्दों का अर्थ है कि जनता को उस व्यक्ति को अपमानित होते हुए देखना चाहिए, जिसके लिए उसे उपस्थित होना चाहिए और सार्वजनिक दृष्टि की अनुपस्थिति में, इस **धारा** के तहत कोई भी अपराध आकर्षित नहीं होता है।

(पैरा 14)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि जिस बात पर संभवतः यहाँ विवाद नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि तत्काल मामले में, शिकायत में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, जो प्राथमिकी (अनुलग्नक पी1) का आधार है कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं, वे जानते थे कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य था, उन्होंने

जानबूझकर उसका (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य) अपमान करने के इरादे से और सार्वजनिक रूप से एक स्थान पर अपमान किया या डराया।इतना ही नहीं, शिकायत/एफ़. आई. आर. में केवल अपराधियों की जाति का ही खुलासा होना चाहिए, यह भी खुलासा होना चाहिए कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त शिकायतकर्ता की जाति के बारे में भी जानते थे।

(पैरा 15)

बिपिन घई वरिष्ठ अधिवक्ता और मंदीप कौशिक, अधिवक्ता
याचिकाकर्ताओं के लिए ।

गौतम कैले,अधिवक्ता राजीव शर्मा, अधिवक्ता के लिए - प्रतिवादी नंबर 1 के लिए

सुखबीर सिंह मत्तेवाल, अधिवक्ता, P.S.Thiara अधिवक्ता के लिए, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए

न्यामूर्ति महेंद्र सिंह सुल्लार। (मौखिक)

(1) तत्काल याचिका में शामिल और रिकॉर्ड से निकलने वाले मुख्य विवाद को तय करने के सीमित उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तथ्यों का मैट्रिक्स यह है कि याचिकाकर्ता डा ओंकार चंदर जगपाल और उनकी पत्नी आदर्श जगपाल ने दावा किया कि वे पिछले लगभग 35 वर्षों से चंडीगढ़ के सेक्टर 15-बी में एक घर में रह रहे हैं।शिकायतकर्ता सोहिनी चौधरी प्रतिवादी संख्या 2 (संक्षिप्तता के लिए "शिकायतकर्ता"), राम लुभाया चौधरी की बेटी, शुरू से ही उक्त घर खरीदना चाहती थी।चूंकि याचिकाकर्ताओं ने नातिंदर ढिल्लों से उस घर का 50 प्रतिशत हिस्सा खरीदा है, इसलिए शिकायतकर्ता और उसके परिवार के अन्य सदस्य शत्रु बन गए और उन्हें झूठे और तुच्छ आधार पर परेशान करने लगे।

(2) इंगित घर का आधा हिस्सा खरीदने के बाद याचिकाकर्ता संख्या 1 डा. ओंकार चंदर जगपाल ने पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध (चंडीगढ़ तक विस्तार) अधिनियम, 1974 की धारा 12 के तहत श्रीमती संतोष चौधरी पत्नी राम लुभाया (शिकायतकर्ता की मां) श्रीमती सुशील चौधरी पत्नी, H.S.Dhillon, श्रीमती कमलेश

पत्नी सोहन लाल के खिलाफ एक आवेदन दायर किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और प्रतिवादी को आवश्यक मरम्मत करने का निर्देश दिया गया, जिसमें विफल रहने पर याचिकाकर्ता संख्या 1 को किराया नियंत्रक द्वारा दिनांक 4.12.1998 (अनुलग्नक P2) के आदेश के आधार पर मरम्मत कराने की स्वतंत्रता दी गई।पक्षों के बीच लंबे समय तक चली दीवानी और आपराधिक मुकदमेबाजी दिनांकित 15.6.1999 (अनुलग्नक P3), दिनांकित 19.2.2001 (अनुलग्नक P4), जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक P5), दिनांकित 12.6.2006 (अनुलग्नक P6 और P8) के पुलिस महानिरीक्षक (IG) को पत्रों की प्रतियां और XEN (अनुलग्नक P7) को पत्र से भी स्पष्ट है।

(3) इस बीच, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता-अभियुक्त (जो प्राथमिकी आर. संलग्नक पी1 का आधार बना) के खिलाफ निम्नलिखित आरोपों के साथ शिकायत की:-

"महोदय, मैं अपने परिवार के साथ घर नं.1320, सेक्टर 15-बी, चंडीगढ़ में पिछले कई वर्षों से और सेक्टर 15-बी के घर में जहाँ हम और हमारा घर की देखभाल करने वाला रहता है और घर का यह हिस्सा हमारा है।ओंकार चंदर जगपाल वहाँ रहते हैं।हमारे घर मुख्य सड़क पर हैं और इस वजह से हम अपनी कारें दोनों घरों के सामने पार्क करते हैं और ओंकार चंदर जगपाल अपनी कार

घर के पीछे पार्क करते हैं।यह घर हमारी दादी के स्वामित्व में था और हमारा किरायेदारी विवाद माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है।मुकदमा विचाराधीनता रहने के दौरान हमारी दादी की मृत्यु हो गई।और यही कारण है कि ओंकार चंदर जगपाल हमेशा अपने मन में दुर्भावना रखते हैं और हमेशा मुझे और मेरे परिवार को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का अवसर ढूंढते हैं।चंडीगढ़ पुलिस के पुलिसकर्मी शाम करीब 6 बजे उस घर पर आए जहाँ मैं अपने माता-पिता और अपनी दो बड़ी बहनों (नमिता और माला) के साथ सेक्टर 15-बी, चंडीगढ़ में रहता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ओंकार

चंदर जगपाल द्वारा वाहन की पार्किंग के संबंध में शिकायत मिली है।जब मैंने पुलिस कर्मियों को बताया कि घर मेरा और मेरी तीन बहनों का है और वाहन भी हमारे परिवार का है, तो पुलिसकर्मी चले गए और जब मैं बाहर आयी और घर (संख्या 1318), सेक्टर 15-बी, पहुंची बरामदे में ओंकार चंदर जगपाल गुस्सा हुआ और मुझे और मेरे परिवार को गाली देने लगा, उसकी पत्नी भी वहाँ खड़ी थी, जो तुरंत मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ गाली और गंदी भाषा का इस्तेमाल करने लगी।जब मैंने उन्हें उचित व्यवहार करने के लिए कहा क्योंकि हम एक सम्मानित और जिम्मेदार परिवार से हैं, तो ओंकार चंदर जगपाल ने मुझे चिल्लाते हुए कहा, "चूरा-चमार नीच जाती दे कुते लोग।"अगर आप कभी वाहन फिर से पार्क करते हैं, तो मेरे गुंडों के साथ संबंध हैं और उच्च पुलिस अधिकारियों के साथ भी संबंध हैं और मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज करा सकते हैं और आगे धमकी दी कि वह मुझे समाप्त कर सकता है ताकि भविष्य में वह इलाके में किसी भी चमार को न देख सके। तेज आवाज सुनकर मेरे चचेरे भाई विनोद चौधरी, जो मेरे घर में मौजूद थे, वहाँ आए और उन्हें सार्वजनिक रूप से मेरा और मेरे परिवार का अपमान करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन ओंकार चंदर जगपाल गुस्से में और अडिग थे।इस बीच, कई राहगीर वहाँ जमा हो गए और पूरे प्रकरण को देखा।और जब मेरा भाई उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था, तो ओंकार चंदर जगपाल की पत्नी तुरंत चिल्लाई, "चूड़ा-चमार सब इकठ्ठे हो गए।"

जब ओंकार चंदर जगपाल और उनकी पत्नी ने सार्वजनिक रूप से इस तरह के शब्द कहे तो मुझे और मेरे भाई को बहुत शर्म आई।शर्म महसूस करते हुए कि हम सम्मानित परिवार से है, हम शांत रहे और अपने घर लौट आए, हम इतने शर्मिंदा थे कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए और हमने अपने पिता को फोन किया।और तब से, उन्होंने हमें अपने घर के हिस्से का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं दी है।उसने और उसकी पत्नी ने हमे हमारी संपत्ति से गलत तरीके से बेदखल कर दिया है और हमारी संपत्ति के हिस्से में हस्तक्षेप कर रहे हैं।अगर आप उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हैं और

हमें न्याय दिया जाता है तो मैं आभारी रहूंगी। Sd/- सोहिनी चौधरी, R/o #1320, सेक्टर 15-B, चंडीगढ़ दिनांक 30.6.2006।"

(4) इन आरोपों की पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता-अभियुक्तों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की **धारा** 3 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप में चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन सेक्टर 11 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

(5) याचिकाकर्ताओं ने संतुष्ट महसूस नहीं किया और धारा 482 दं.प्र.सं. के प्रावधानों को लागू करते हुए प्राथमिकी आर. (अनुलग्नक पी. 1) और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी बाद की कार्यवाही को रद्द करने के लिए तत्काल याचिका को प्राथमिकता दी।

(6) निश्चित रूप से, याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित मामला, जहां तक प्रासंगिक है, संक्षेप में, यह था कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2, राम लुभाया चौधरी की बेटी, हाउस No.1320, सेक्टर 15-बी, चंडीगढ़ में रह रही है।वे उस सदन को खरीदना चाहते थे, जिसमें याचिकाकर्ता रह रहे हैं।याचिकाकर्ताओं ने घर No.1318, सेक्टर 15-बी, चंडीगढ़ का आधा हिस्सा खरीदा है, जिस पर पक्षकारों के बीच लंबे समय तक दीवानी और आपराधिक मुकदमे चले हैं, जो उक्त **घर** से संबंधित हैं।याचिकाकर्ता-अभियुक्त के अनुसार शिकायतकर्ता के पिता राम लुभाया विधायक हैं, जबकि उनकी माँ चौधरी Smt.Santosh Ex.MP हैं। उन्होंने पार्किंग क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया और याचिकाकर्ता नंबर 1 ने शिकायत (अनुलग्नक पी6) के माध्यम से 12.6.2006 पर चंडीगढ़ के आई. जी. को मामले की सूचना दी।शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ,उनके प्रभाव और राजनीतिक दबाव में कानूनी कार्रवाई करने के बजाय, यू. टी. पुलिस ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गलत तरीके से वर्तमान मामला दर्ज किया।

(7) विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हुए और याचिका में निहित घटनाओं के अनुक्रम का विस्तार से वर्णन करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए अवैध रूप से एक झूठी, दुर्भावनापूर्ण और परेशान करने वाली प्राथमिकी दर्ज की है।यहां तक कि प्राथमिकी के मात्र अवलोकन से भी किसी भी अपराध का खुलासा नहीं होता है।उपरोक्त आधारों के बल पर, याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिकी आर. (अनुलग्नक पी1) और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी बाद की कार्यवाही को ऊपर वर्णित तरीके से रद्द करने की मांग की।

(8) प्रतिवादी ने याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना का खंडन किया और जवाब दाखिल किए।यू. टी. प्रशासन ने दावा किया कि 13.7.2006 पर मामला दर्ज करने के बाद, गवाह कमलेश पत्नी सोहन लाल और सिपाही अवतार सिंह के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मौखिक दुर्व्यवहार सुना है।हालाँकि, शिकायतकर्ता ने याचिका की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति लेते हुए अपना अलग जवाब दाखिल किया।यह तथ्य कि याचिकाकर्ताओं ने विवादित घर का आधा हिस्सा खरीद लिया है और पक्षों के बीच दीवानी और आपराधिक मुकदमेबाजी के तथ्य को स्वीकार किया जाता है। तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जवाब की पूरी सामग्री को पुनःप्रस्तुत करने के बजाय और यह कहना पर्याप्त है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी शिकायत में निहित आरोपों को दोहराया है, जो प्राथमिकी (अनुलग्नक पी 1) का आधार है।यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि प्रतिवादी ने मुख्य याचिका में निहित अन्य सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है और इसे खारिज करने का अनुरोध किया है।

(9) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, उनकी बहुमूल्य सहायता के साथ रिकॉर्ड को देखने के बाद और पूरे मामले पर विचार करने के बाद, मेरे विचार में, वर्तमान याचिका इस संदर्भ में स्वीकार किए जाने के योग्य है।

(10) जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट है कि पक्ष लंबे समय से विचाराधीन **घर** के संबंध में एक-दूसरे के साथ मुकदमा कर रहे हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।शिकायतकर्ता पक्ष को याचिकाकर्ताओं के घर के सामने अपने वाहनों को

अनधिकृत रूप से पार्क करके पार्किंग क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया था।मामले की सूचना पुलिस को दी गई।याचिकाकर्ता संख्या 1 की शिकायत (अनुलग्नक पी 6) के मद्देनजर, पुलिस याचिकाकर्ताओं के घर के सामने वाहनों की पार्किंग के संबंध में जांच करने के लिए 29.06.2006 लगभग 6 बजे पर मौके पर पहुंची।शिकायतकर्ता के अनुसार, मामले की जांच करने के बाद जैसे ही पुलिस चली गई, इस बीच

याचिकाकर्ता नंबर 1 ओंकार चंदर जगपाल घर के बरामदे में आक्रोशित हो गए और उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक और गंदी भाषा का इस्तेमाल करने लगे।जब उन्होंने उन्हें ठीक से व्यवहार करने के लिए कहा, तो वे "चूरा-चमार नीच जाति के कुते लोग" चिल्लाया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। जब शिकायतकर्ता का भाई उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था, तो याचिकाकर्ता नंबर 2 ने कहा कि "चूड़ा -चमार सब इकठ्ठा हो गये है "।दूसरे शब्दों में, शिकायतकर्ता द्वारा प्राथमिकी में याचिकाकर्ताओं पर नीरस आरोपों के अलावा कोई स्पष्ट कार्य या विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। उपरोक्त कथनों के आधार पर, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए पहले बताए गए तरीके से प्राथमिकी (अनुलग्नक पी1) दर्ज की।

(11) अभिलेख पर उपरोक्त स्थिति और सामग्री होने पर, अब इस याचिका में निर्धारण के लिए जो छोटा और अहम सवाल, हालांकि महत्वपूर्ण है, वह यह है कि क्या अपराध के सभी आवश्यक तत्व पूर्ण हैं और अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय कोई अपराध बनता है या नहीं?

(12) पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताकओं के प्रतिद्वंद्वी तर्को को ध्यान मे रखते हुए मेरे अनुसार इस सम्बन्ध मे उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है।

(13) जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के प्रावधानों को लागू करने की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि "जो कोई भी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होने के नाते, सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर अनुसूचित जाति या

अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या डराता है, उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा।

(14) इन प्रावधानों के एक संयुक्त और सार्थक अध्ययन से पता चलता है कि अधिनियम की धारा 3 (x) के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत में विशेष रूप से उल्लेख करना अनिवार्य था और प्राथमिकी में यह खुलासा करना चाहिए कि (i) याचिकाकर्ता-आरोपी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं थे; (ii) वे जानते थे कि वह (शिकायतकर्ता) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सदस्य थी; (iii) उन्होंने जानबूझकर उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में अपमानित करने के इरादे से अपमानित किया या डराया और (iv) किसी **सार्वजनिक दृश्य के भीतर स्थान पर भी किसी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में किसी स्थान पर जो** सार्वजनिक दृष्टिकोण के भीतर

हो "जानबूझकर अपमानित करना" शब्दो का महत्वपूर्ण अर्थ है।सार्वजनिक रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को शब्दों से अपमान का मतलब है कि कथित अपमान के समय अपमानित व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उपस्थित होना चाहिए।दूसरे शब्दों में, "सार्वजनिक दृष्टि के भीतर" शब्दों का अर्थ है कि जनता को उस व्यक्ति को अपमानित होते हुए देखना चाहिए, जिसके लिए उसे उपस्थित होना चाहिए और सार्वजनिक दृष्टि की अनुपस्थिति में में, इस धारा के तहत कोई भी अपराध आकर्षित नहीं होता है।

(15) यहां जिस बात पर संभवतःविवाद नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि तत्काल मामले में, शिकायत में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, जो प्राथमिकी (अनुलग्नक पी1) का आधार है कि याचिकाकर्ता-आरोपी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं, वे जानते थे कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य था, उन्होंने जानबूझकर उसका (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य) अपमान करने के इरादे से और

सार्वजनिक रूप से एक स्थान पर अपमान किया या धमकाया।इतना ही नहीं, शिकायत/एफ़. आई. आर. में केवल अपराधियों की जाति का ही खुलासा होना चाहिए, यह भी खुलासा होना चाहिए कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त शिकायतकर्ता की जाति के बारे में भी जानते थे।

(16) यह विवाद का विषय नहीं है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम एक विशेष अधिनियम/कानून है और इसके प्रावधानों का सख्ती से उसी तरीके से अर्थ लगाया जाना चाहिए जैसे अधिनियम द्वारा अधिदेश दिया गया है अन्यथा नहीं।प्राथमिकी से स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या धमकी का तत्व सामने आना चाहिए। केवल, घर के बरामदे में याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित कथन (जनता की दृष्टि में नहीं) क्रोध और भावना के कारण प्रतीत होता है, न कि शिकायतकर्ता पक्ष को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में अपमानित करने के इरादे से।यह आम जानकारी की बात है कि एक पल में दो दुश्मनों के बीच झगड़े में इस तरह के शब्द आम और नियमित हैं और संभवतः अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है। इसका मतलब है कि शिकायतकर्ता को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के इरादे की अनुपस्थिति में केवल ऐसे शब्द बोलना, गैर-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के सदस्यों के बीच ऐसा हर झगड़ा या झगड़ा और यदि आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट और अनुचित हैं, तो वास्तव में, अपराध के कृत्यों का गठन नहीं होगा, जो अधिनियम के तहत संज्ञान लेने में सक्षम हैं।

इसके अलावा, जांच के दौरान पुलिस ने सोहन लाल की पत्नी कमलेश और सिपाही अवतार सिंह के बयान दर्ज किए हैं।उन्होंने प्राथमिकी में निहित आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने केवल मौखिक गालियां सुनी हैं।

(17) इसका मतलब है कि शिकायत में अपराध के सभी आवश्यक/बुनियादी तत्वों की पूरी तरह कमी है, जो प्राथमिकी (अनुलग्नक पी1) का आधार है।उस स्थिति में, इस तरह की शिकायत को जारी रखने की अनुमति देना और याचिकाकर्ताओं

को लंबे समय तक मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर करना, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अब यह अछूता मामला नहीं है।

(18) इसी तरह के एक सवाल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गोरिगे पेंटैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य(1) मामले में** फैसला सुनाया, **जिसमें अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों और धारा 482 दं.प्र.सं. के दायरे की व्याख्या करने के बाद,** जों **(पैरा 6) निम्नानुसार** है-

"6. तत्काल मामले में, पूरी शिकायत में प्रतिवादी 3 का आरोप है कि 27.5.2004 को, अपीलकर्ता ने उनकी जाति के नाम से उनके साथ दुर्व्यवहार किया।अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के मूल तत्वों के अनुसार, शिकायतकर्ता को यह आरोप लगाना चाहिए था कि अपीलकर्ता-अभियुक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था और उसे (प्रतिवादी 3) जानबूझकर अपमानित किया गया था या सार्वजनिक रूप से किसी स्थान पर अपमानित करने के इरादे से आरोपी द्वारा डराया गया था।पूरी शिकायत में, कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था और उसने जानबूझकर सार्वजनिक रूप से प्रतिवादी 3 को अपमानित करने के इरादे से अपमान या डराया-धमकाया।जब शिकायत में अपराध के मूल तत्व गायब होते हैं, तो ऐसी शिकायत को जारी रखने की अनुमति देना और अपीलकर्ता को आपराधिक मुकदमे की धांधली का सामना करने के लिए मजबूर करना पूरी तरह से अनुचित होगा, जिससे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

---

(1) 2008 (12) एससीसी 531

(19) इसी क्रम में, माननीय **उच्चतम न्यायालय ने असमथुन्निसा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य जिसका प्रतिनिधित्व लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद और अन्य (2) द्वारा किया** फिर से वही विचार दोहराया गया।

(20) भले ही यह अजीब लगे, लेकिन कड़ाई से कहें तो, अधिनियम की धारा 3 के तहत अस्पष्ट और नीरस आरोपों में आरोपी को शामिल करने और फंसाने की शिकायतकर्ताओं की सामान्य प्रवृत्ति और आवृत्ति हमारे समाज में दिन-प्रतिदिन जबरदस्त रूप से बढ़ रही है।यहां तक कि भारतीय दंड संहिता के तहत स्पष्ट और सरल घटना को भी विशेष अधिनियम की धारा 3 के तहत तत्काल मामले की तरह झूठे और अस्पष्ट आरोप जोड़कर अपराध का रंग दिया जाता है।इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।यदि हतोत्साहित नहीं किया जाता है और ऐसे झूठे आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को शामिल करके सिविल विवाद का बदला लेने के लिए उनके अत्यधिक उत्साह और चिंता के मद्देनजर, उस स्थिति में, यह अंततःअभियोजन पक्ष के उन वास्तविक मामलों के साथ-साथ वास्तविक दोषियों के खिलाफ भी कमजोर हो जाएगा और अधिनियम का उद्देश्य, इस प्रासंगिक पक्ष में महत्वहीन हो जाएगा।

(21) इसी तरह, मामले का एक और पहलू है, जिसे एक अलग कोण से देखा जा सकता है।यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने विवादित घर खरीदा है, जिसे शिकायतकर्ता पक्ष खरीदना चाहता था।वे लंबे समय से मुकदमेबाजी कर रहे हैं।यदि पक्षों के बीच पिछले मुकदमे के तथ्यों और सामग्री के सारांश को एक साथ रखा जाता है और उस पर विचार किया जाता है, तो मेरे लिए यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि शिकायतकर्ता ने प्रतिशोध लेने के लिए दुर्भावनापूर्ण और परेशान करने के लिए तत्काल झूठी आपराधिक शिकायत दर्ज की है, जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी (अनुलग्नक पी1) का आधार बना, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा और अन्य बनाम Ch.Bhajan लाल और अन्य (3) में एक प्रसिद्ध फैसले में निर्धारित कानून को **जिसे सोम मित्तल बनाम कर्नाटक (4) सरकार के मामले में फिर से दोहराया गया था** को देखते हुए रद्द किया जाना चाहिए।

(22) अब यह कानून का सर्वविदित सिद्धांत है कि नागरिक विवाद के ऐसे मामले को कानूनी रूप से आपराधिक कार्यवाही का विषय बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।अन्यथा अनुचित मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं होगा और यह

---

(2) 2011 (11) एससीसी 259

(3) ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604

(4) 2008 (2) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 92

इस प्रासंगिक दिशा में याचिकाकर्ताओं के मामलों में अन्याय पैदा करेगा और उसे कायम रखेगा।इस तरह से, शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ताओं पर आपराधिक अभियोजन का दबाव डालकर एक गैर-मौजूद दीवानी अदालत के आदेश को निष्पादित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(23) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एन. ई. पी. सी. इंडिया लिमिटेड और अन्य (5) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समान मामले का निर्णय किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक समान बिंदु तय किया गया था। विशुद्ध रूप से दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की लोगों की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में आगाह किया और इस प्रचलित धारणा को देखा कि चूंकि दीवानी कानून के उपाय समय लेने वाले हैं और पक्षों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करते हैं, इसलिए लोगों ने आपराधिक अभियोजन से दबाव डालते हुए दीवानी विवादों और दावों का निपटारा करना शुरू कर दिया है, जिसमें कोई आपराधिक अपराध शामिल नहीं है और इस तरह के प्रयास की निंदा की जानी चाहिए और उन्हें हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

(24) 24.इसलिए, शिकायतकर्ता प्रत्यर्थी के वकील के विपरीत तर्क कि अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बनाया गया है और वर्तमान परिस्थितियों के तहत निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून का सारांश वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है और इस समस्या का पूरा जवाब है।

(25) किसी भी दृष्टिकोण से, मेरे विचार से, याचिकाकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा प्राथमिकी (अनुलग्नक पी1) दर्ज करना और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी कार्यवाही, आपराधिक कानून की प्रक्रिया का सरासर और पूर्ण दुरुपयोग है।इस प्रकार, विवादित प्राथमिकी (अनुलग्नक पी-1) और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी बाद की कार्यवाहिया करने वाली परिस्थितियों में दरकिनार करने योग्य है।

(26) पार्टियों के वकीलो ने अन्य कानूनी बिन्दु पर आग्रह अथवा दबाव नहीं दिया ।

(27) उपरोक्त कारणों के आलोक में, तत्काल याचिका स्वीकार की जाती है।नतीजतन, विवादित प्राथमिकी (अनुलग्नक पी1) और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी बाद की कार्यवाही को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।तदनुसार याचिकाकर्ताओं को इंगित आपराधिक मामले से मुक्त कर दिया जाता है।

---

(5) 2006 (6) एस. सी. सी. 736

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)